न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 85 / 2022 दर्ज दिनांक 21.07.2022

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2022 / 291

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तीलाल पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरेशचन्द्र पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सीमा पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. ममता पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता जवाहरलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरदेवी पत्नि सोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::
(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत्)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं उपस्थित
3. प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5 एकपक्षीय

:: निर्णय ::

दिनांक:– 17-3-2026

1. वादपत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई के इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.12.2025 के द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि राजस्व ग्राम मोखमपुरा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात का विवरण निम्नानुसार है –

क्र.स.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा है0 में
1	मोखमपुरा	207	941	0.27

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

2	मोखमपुरा	207	942	0.05
3	मोखमपुरा	207	943	0.05 गै.मु. आचा
4	मोखमपुरा	207	944	0.09
5	मोखमपुरा	207	945	0.09
6	मोखमपुरा	207	946	0.09
7	मोखमपुरा	207	947	0.25
8	मोखमपुरा	207	948	0.21
9	मोखमपुरा	207	949	0.21
10	मोखमपुरा	207	950	0.16
11	मोखमपुरा	207	951	0.21
12	मोखमपुरा	207	952	0.21
13	मोखमपुरा	207	953	0.10
14	मोखमपुरा	207	954	0.17
15	मोखमपुरा	207	955	0.23
	कुल किता कुल रकबा		15	2.39

उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस् के आधार पर, कुएं व रास्ते की भूमि को शामलाती रखते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

2. तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक/भू.अ./2026/149 दिनांक 05.02.2026 से प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।
3. तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रेषित उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की तथा मौका कब्जा संबंधी किसी प्रकार का एतराज जाहिर नहीं किया, अतः प्रारम्भिक डिक्री की पालना स्वरूप उक्तानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुरूप अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत है।
4. अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक–पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. शकंरलाल पुत्र मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह 2. शान्तिलाल पुत्र मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह 3. सुरेशचन्द्र पुत्र मोहनलाल हि. 1/5 सुथार सा.देह 4. ममता पुत्री मोहनलाल हि. 1/5 सुथार सा.देह 5. सीमा पुत्री मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	945 946 947 948/2 954/2 955	0.09 0.09 025 0.06 0.05 0.23
		योग	6	**0.77**
2	भवरीदेवी पत्नि सोहनलाल हिस्सा सम्पूर्ण सुथार सा. देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली, जीएसएस थला	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/2 942 944/2 948/1	0.06 0.05 0.08 0.15

सहायक कलक्टर

			949 953 954/1	0.21 0.10 0.12
		योग	**7**	**0.77**
3	मांगीलाल पुत्र जवाहरमल हिस्सा सम्पूर्ण सुथार सा. देह रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/1 950 951 952	0.19 0.16 0.21 0.21
		योग	**4**	**0.77**
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/3 943 944/1	0.02 0.05 0.01
		योग	**3**	**0.08**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना—अपना वहन करे।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

निर्णय आज दिनांक 17/3/26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती करूणा लाड़ोती (आर0ए0एस0)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 85/2022 दर्ज दिनांक 21.07.2022

जीसीएमएस प्रकरण संख्या :– 2022/291

अन्तर्गत धारा :– 53 आर.टी.एक्ट

अनवान

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. शान्तीलाल पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरेशचन्द्र पिता मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. सीमा पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. ममता पुत्री मोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता जवाहरलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भंवरदेवी पत्नि सोहनलाल सुथार निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. ग्राम सेवा सहकारी समिति थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये व्यवस्थापक
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

:: अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 ::

(वास्ते अंतिम डिक्री जारी करने बाबत)

निर्णय दिनांक : 17/3/26

डिक्री दिनांक : 17/3/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय रायपुर बहाजरी अधिवक्ता वादी **श्री फारूख मोहम्मद मन्सूरी, व पैरोकार सरकार** हुकम दिया जाता हैं व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 53** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे प्रस्तुत बटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	1. शकंरलाल पुत्र मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह 2. शान्तिलाल पुत्र मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह 3. सुरेशचन्द्र पुत्र मोहनलाल हि. 1/5 सुथार सा.देह 4. ममता पुत्री मोहनलाल हि. 1/5 सुथार सा.देह	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	945 946 947 948/2	0.09 0.09 025 0.06

उपखण्ड अधिकारी रायपुर

	5. सीमा पुत्री मोहनलाल हि.1/5 सुथार सा.देह		954/2 955	0.05 0.23
		योग	6	**0.77**
2	भवरीदेवी पत्नि सेाहनलाल हिस्सा सम्पूर्ण सुथार सा. देह रहन बीओबी शाखा आशाहोली, जीएसएस थला	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/2 942 944/2 948/1 949 953 954/1	0.06 0.05 0.08 0.15 0.21 0.10 0.12
		योग	7	**0.77**
3	मांगीलाल पुत्र जवाहरमल हिस्सा सम्पूर्ण सुथार सा. देह रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/1 950 951 952	0.19 0.16 0.21 0.21
		योग	4	**0.77**
4	शामलाती बदस्तुर	ग्राम मोखमपुरा (खाता संख्या 207)	941/3 943 944/1	0.02 0.05 0.01
		योग	3	**0.08**

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव में संलग्न राजस्व नक्शे के अनुसार विभाजन करते हुए तरमीम की जावे।

नीज ....Nil................................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/3/26 को जारी किया गया।

(करूणा लाड़ोती)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	–		स्टाम्प अरजीदया	–	
स्टाम्प वकीलात नामा	–		स्टाम्प वकीलात नामा	–	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महनताना वकील ( )	–		महनताना वकील ( )	–	
खर्चा गवाह	–		खर्चा गवाह	–	
फीस कमीश्नर	–		फीस कमीश्नर	–	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	–		बाबत् इजराय हुक्मनामा	–	
मुनफरिक	–		मुनफरिक	–	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (भीलवाड़ा)